HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 01अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता को 03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 19,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **मुस्करा** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 1137/15 धारा-363,366,376,504,506 भा0द0सं0 व 04 पाक्सो एक्ट** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय **पाक्सो एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **जीतू पुत्र बन्टोली** निवासी इमिलिया थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 07 **वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। एवं धारा 363 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध करते हुए अभि0गण **1.बंटोली पुत्र अच्छेलाल 2.एक अभियुक्ता** को 03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

	अभियोजक एडीजीसी अवधनरेश चन्देल		विवेचक- उ0नि0 काशीनाथ उपाध्याय		पैरोकार थाना - मुस्करा **का0 श्यामनारायण**